6/18 पत्रावली पेश। वादी विद्वान अधिवक्ता
एवं विद्वान प्रतिभू अधिवक्ता वादी
की अपील दायर है न्यायालय ने
अपील लिया। अग्रिम पत्रावली दिनांक
4/4/18 को पेश हो।

4/18 पत्रावली पेश। वादी विद्वान अधिवक्ता
एवं विद्वान प्रतिभू अधिवक्ता उपस्थित
आपस में पेश है न्यायालय
ने अपील लिया। अग्रिम पत्रावली दिनांक
2/5/18 को पेश हो।

26/4/18 पत्रावली आज राजीनामे के अन्तर्गत
पेश। पक्षगण पंचायत में गये। मैं
देख रहा हूँ पत्रावली में अंकित
धारित है प्रकरण वादी ने अर्थात
धारा 144-2009 में पेश किया है
जिसका अपील नहीं किया। जिसका बाद
आपसी प्रकरण धारा 144-2009
CrPC में उपर नहीं होता है
पक्षकारों के मध्य वाद शर्त से संबंधित
है जिनका समझौता में समाधान
हो गई दोनों पक्षकार आपसी सहमति
से रास्ते पर आने-जाने के लिए
सहमत है पक्षकारों के मध्य आपस
में रास्ते को लेकर कोई विवाद
नहीं है प्रकरण दोनों पक्षकारों के
सहमति समाप्त किया जाकर खारिज
किया जाता है पत्रावली निस्तारित
की कुमार बोहरा सहित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
आलनिर (राज.)